

## लोकसभा की आचार समिति

### प्रलिस के ललल:

लोकसभा की आचार समलतल, 'प्रश्न के बदले नकद', वशलषाधकलर समलतल, संसद के सदसुयों का नैतकल और नीतपरक आचरण ।

### मेनुस के ललल:

लोकसभा की आचार समलतल, संसद और राज्य वधलनमंडल, संरचना, कार्यपरणाली, वुववसाय का संचालन, शक्तलतुलँ एवं वशलषाधकलर तथल इनसे उत्पनुन होने वलले मुददे ।

[सुरत: इंडुलन एकसपरस](#)

## चरुा में कुुयों ?

हलल ही में लोकसभा की आचार समलतलने संसद में प्रश्न पूरुने के ललल "रशलवत" लेने के आरुपी एक सांसद पर ' [प्रश्न के बदले नकद](#) ' ऒुटले की ऑूच शुरु की है ।

- समलतल आरुपों की ऑूच करने और शकललयतकरुतल, गवलहों और आरुपी सांसद सहलतल सभल संबंधतल पकुषों से सबूत इकटुठल करने के ललल करुतलवली करेगी ।

## संभलवतल परणलम:

- यदल आचार समलतलकुल शकललयत सही पलई ऑलती है तु वल सफलरशलँ कर सकतल है । वल जसल संभलवतल सऑल की सफलरशल करतल है, उसमें आम तुरु पर एक नरुदषलट अवधलके ललल सांसद का नललंबन शलमलल है ।
- सदन, जसलमें सभल सांसद शलमलल हैं, अंतत: नरुणय करेगा कल समलतलकी सफलरशल कुल सुवलकर कलल ऑल अथवल नहीं और सऑल की परकुतल एवं सीमल, यदल कुलई हु, तु वल नरुधलरतल की ऑलएगी ।
- यदल आरुपी कुल नषलकलसतल कलल ऑलल थल यल संभलवतल परतकुलल नरुणय कल सलमनल करनल पडल, तु समलतलइसे नुयलऑललय में ऑुनूती दे सकतल थी ।
  - ऐसे नरुणय कुल नुयलऑललय में ऑुनूती देने के आधलर सीमलतल हैं और आम तुरु पर इसमें असंवैधलनकलतल, ऑुर अवैधतल यल परकुतकल नुयल से इनकर कल देवे शलमलल हैं ।

**नुट:** वरुष 2005 में दुनुनों सदनुओं ने 10 लोकसभा सांसदुओं और एक राज्यसभा सांसद कुल नषलकलसतल करने के ललल परसुतलव कुल मंऑुरी दी, ऑनल पर धन के बदले संसद में प्रश्न पूरुने हेतु सहमत होने कल आरुप थल । लोकसभा में यह परसुतलव बंसल समलतलकी रपुलरुट पर आधलरतल थल, ऑु इस मुददे की ऑूच के ललल अधुयकुष देवलरल गठतल एक वशलष समलतल थी ।

- राजुयसभल में शकललयत की ऑूच सदन की आचार समलतलदुवलरल की गई ।
- नषलकलसतल सांसदुओं ने मलंग की कल बंसल समलतलकी रपुलरुट वशलषाधकलर समलतलकुल भेऑी ऑल, तलकल सांसद अपना बऑलव कर सकुँ ।

## लोकसभा की आचार समलतल:

- परऑुलल:
  - आचार समलतलके सदसुयुओं की नऑुकुतल अधुयकुष देवलरल एक वरुष की अवधलके ललल की ऑलती है ।
- इतलहलस:

- वर्ष 1996 में दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पहली बार दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के लिये **आचार समिति गठित करने का वचन** सामने आया।
- तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति (और राज्यसभा के सभापति) के.आर. नारायणन ने **सदस्यों के नैतिक और नीतिपरक आचरण** की नगिरानी करने एवं इससे संदर्भित कदाचार के मामलों की जाँच करने के लिये 4 मार्च, 1997 को **उच्च सदन की आचार समिति** का गठन किया।
  - लोकसभा के मामले में **वर्ष 1997 में सदन की विशेषाधिकार समिति** के एक अध्ययन समूह ने एक आचार समिति के गठन की सफारिश की, **लेकिन इसे लोकसभा द्वारा अंगीकृत नहीं किया जा सका।**
- **13वीं लोकसभा** के दौरान विशेषाधिकार समिति ने **अंततः एक आचार समिति के गठन** की सफारिश की।
- दिवंगत अध्यक्ष जी. एम. सी. बालयोगी ने वर्ष 2000 में **एक तदर्थ आचार समिति** का गठन किया, जो वर्ष 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई।
- **शिकायतों की प्रक्रिया:**
  - कोई भी व्यक्ति **किसी सदस्य के विरुद्ध** किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से **कथित कदाचार के साक्ष्यों** और एक हलफनामे के साथ शिकायत कर सकता है, जिसमें कहा गया हो कि शिकायत **"झूठी, तुच्छ या परेशान करने वाली"** नहीं है।
    - यदि सदस्य स्वयं शिकायत करता है तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
  - अध्यक्ष **किसी सांसद के विरुद्ध कोई भी शिकायत** समिति को भेज सकता है।
  - समिति केवल मीडिया रिपोर्टों या वचाराधीन मामलों पर आधारित शिकायतों पर विचार नहीं करती है। **किसी शिकायत की जाँच करने का निर्णय लेने से पूर्व समिति प्रथम दृष्टया जाँच** करती है तथा शिकायत का मूल्यांकन करने के बाद अपनी सफारिशें करती है।
  - समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, जो सदन से विचार विमर्श करता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिये।
    - रिपोर्ट पर **आधे घंटे की चर्चा का भी प्रावधान है।**
- **विशेषाधिकार समिति के साथ ओवरलैप:**
  - आचार समिति और **विशेषाधिकार समिति** का कार्य प्रायः ओवरलैप होता है। किसी सांसद के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी निकाय को भेजा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर अधिक गंभीर **आरोप विशेषाधिकार समिति के पास** जाते हैं।
  - विशेषाधिकार समिति का कार्य **"संसद की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा" की रक्षा करना** है।
  - इन विशेषाधिकारों का लाभ व्यक्तिगत सदस्यों के साथ-साथ संपूर्ण सदन को भी मिलता है। **विशेषाधिकार के उल्लंघन** के लिये एक सांसद की जाँच की जा सकती है; किसी गैर-सांसद व्यक्ति पर भी सदन के अधिकार और गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कार्यों के लिये विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है।
  - आचार समिति केवल उन कदाचार के मामलों पर विचार कर सकती है जिनमें सांसद शामिल हों।

